ANNUAL REPORT
2020-21

Uttar Pradesh Voluntary Health Association

5/459, Viram Khand, Gomti Nagar, Lucknow U.P. Pincode- 226010
Contact Details- Landline No. 0522-725586, Mobile No- 9415182415
Email- upvhalko@gmail.com, upvha_lko@yahoo.com
Website- www.upvha.org

“Let Us Join Together To Make A Health Reality For All” !!!

Table Contents

A Note from the President	5
Secretary Message	6
About U.P Voluntary Health Association	7-8
Focus Issues	9
Highlights of the Year- Amplify Change	10-13
Tobacco Control	14-17
School Awareness Program	18-20
Target Intervention	21-24
E-Newsletter	25
Organizational Structure	26
Human Resource of UPVHA	27-28
Photo Gallery	29-30
Media Coverage	31-33

8 मार्च 2021
महिला दिवस

SANJHA PRAYAS
Capacity • Evidence • Action

#मेरा चयन!

बेहतर महिला यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य

A Note from the President

Writing this note in 2021, at a time when the whole world is in grip of a pandemic, is a reminder of the unpredictability of life; how even the best-laid out plans don't work. More importantly, it highlights that even in the toughest times our values, purpose, resilience and standing with the people can be the compass to navigate whatever the future brings.

It is a great pleasure to present to you the Annual Report for year 2020-2021 which briefly describes the best practices applied and success achieved under the different projects by organization's practices. UPVHA has a mission to promote quality healthcare especially for the marginalized groups. There was significant development in this year in all areas of UPVHA's engagement. It is heartening to see that our efforts have been significantly contributing in improving the health of people. The role of the voluntary organizations is very important especially on crucial health issues. UPVHA, besides striving hard to address these issues through its network, will continue its joint efforts to save the lives of the vulnerable and deprived community till the mission & vision is achieved.

I am thankful to the members of governing board of UPVHA for their guidance and support. I take this opportunity to thank the member organizations for their continuous support in implementing all programs successfully. I sincerely extend our whole hearted thanks to VHAI, ministry of H&FW, government of UP, UPSACS, The Union against Tuberculosis and Lung Diseases, Ipass Development Foundation for their support. Special thanks are extended to media fraternity who has always highlighted the issues and concerns raised by UPVHA.

None of the achievements of the year would have been possible without the efforts of UPVHA's dedicated staff. The team has been committed to the aspirations and mission of UPVHA.

I would like to take this opportunity to thank our donors, trustees and the team of UPVHA for believing in our cause and drive our philanthropic activities in a better direction.

Thanking You !!

With best wishes,

S. N. Mishra President

SECRETARY MESSAGE

The year 2020-2021 has been a rather eventful year for us. We had many achievements and made progress on several fronts. The annual report covers these in detail. I wanted to focus a bit more on the role that UPVHA which is playing during current pandemic.

As soon as the pandemic broke out in India, and the country went into a nationwide lockdown, we re-prioritized our activities. It is always a pleasant task to share my thoughts and the highlights of our work over the past year in this important publication of our annual report. I am proud to present UPVHA's Annual Report that the organization continues to contribute in the sector of health over as many years.

The report takes an account of activities and interventions, carried out in the year of 2018-19. I would like to extend our sincere thanks to all our partners, donors and crew members who would remain very supportive, kind and instrumental during achieving the targets, envisaged for the reporting year.

Over the last one year we have made rapid strides in our work towards HIV Aids, Safe Abortion, Tobacco Control. UPVHA has worked with the Government health system for effective delivery of services in the best interest of vulnerable section of the communities. Our member organizations have vast experience of working in the field of community health in their respective districts, and have shown right based approach in the health delivery system.

The organization has undergone tremendous growth in its work on the issue of health. New focus areas such as Sexual and Reproductive Health and Rights started this year with focusing Safe Abortion. Target Intervention, Tobacco Control Programme, School Awareness Programme projects run from many years and achieve many successes under project period.

It's been a challenging year, but the journey has been a lot easier, thanks to each of you who has helped in many ways – your time, your donations, your ideas and most of all your belief in all of us at UPVHA. We had also received a regular support from a number of community members, donor organizations, network organizations, civil society organizations, Government organizations etc. I use this opportunity to thank them all for their continued and unflinching support in our services to the humanity.

We look forward to deepening the work even further in next year.

Thank you all for your continued support on our journey.

Thanks and regards,

Kalindi Tripathi

Hon-Secretary

About U.P Voluntary Health Association

Uttar Pradesh Voluntary Health Association (UPVHA) is a network of voluntary organizations working in the field of community health and development across the state. It is a state chapter of Voluntary Health Association of India, New Delhi. It was established as a non-profit secular organization registered under society registration act 1860 in November, 1985.

UPVHA works in collaboration with various partners in the field of health. The major focus issues are Reproductive and Child Health, Tobacco Control, Adolescent Reproductive Health, Women Empowerment, Safe Abortion, HIV/AIDS/STD/RTI, Nutritional Deficiency Disorder, Malaria, Tribal Health, ISM/TSM, Female Foeticide, Strengthening of PRI, Child Education, Environmental Health, Gender Equity etc.

UPVHA having good strength in networking and have more than 83 NGO partners working in the field of Education, Community Health and Development in Uttar Pradesh. UPVHA has good relationship with state government and also provides support in State level policy advocacy, Implementation of NHM activities, Facilitation of IEC, Strengthening of partners CSOs, Research & Documentation. Health department has nominated UPVHA in different State and District Level Committees.

Vision

Let us join together to make Health a Reality for All.

Mission

UPVHA will promote quality health care especially for the vulnerable (regionally determined) groups With their participation in activating the public health system in revitalizing /promoting healthy living practices by encouragement of social vigilance and by strengthening partnership among likeminded individuals, institutions and groups, and in this way build a community movement for health

Strategy

UPVHA achieve this mission with the help of …

Collaboration and Coordination with: National & International Agencies, Government parts and other stakeholders.

Social Justice: Equal opportunity to Health Services, Women Empowerment, Human Rights and PPNDT Act,

Health Education: for Adolescents, Youth, Eligible Couples, RCH, School Health, Food & Nutrition, Safe Drinking Water, Prevention of HIV, AIDS, STI & RTI & Tobacco control etc.

Policy Documents: UPVHA have HR policy, Gender policy and Finance policy

Focus Issues

Maternal Health and Child Survival

Neonatal Health

Nutrition and ARSH

Tuberculosis Communicable and Non Communicable

Child Education

Women Empowerment

Safe Abortion

Water and Environmental Sanitation

Panchayat Environment

Highlights of the Year 2020-2021

Abortion is one of the leading causes of maternal death all over the world. Abortion is also very contested issues in many places. However India is one country where abortion laws are very liberal. A large number of abortions continue to be conducted illegally, using dangerous methods and it contributes large proportion to the over one hundred thousand maternal death that took place every year in country.

UPVHA is implementing Amplify Change Project to strengthening SRHR movement especially access to safe abortion by creating a network of CSOs "Sanjha Prayas" in 10 Districts of the state of Uttar Pradesh funded by Ipas Development Foundation. These districts are Lucknow, Kanpur Nagar, Sitapur, Hardoi, Barabanki, Basti, Meerut, Unnao, Shrawasti and Shahjahanpur. The objectives of the project are as follows-

- To build an enabling environment for strengthening SRHR, including access to safe abortion and contraception services at the district and state levels.
- To bring SRHR, including safe abortion on the agenda of district and state-level officials using local evidence from community-based research, planning and implementing district and state level sensitization activities.
- To sensitize local media and improve engagement on SRHR issues, including safe abortion and contraception.
- To improve access to SRHR resources, information and services at the district and state levels

Activities under Amplify Change

Radio Show on Safe Abortion and SRHR :

Community Radio Show conducted to increase awareness in community on safe abortion and SRHR at BBD Radio 90.8 FM

Khushaal Parivar Divas :

Participation of all partners in state owned program- ***"Khushaal Pariwar Diwas"*** on every 21st of the month.

Mission Shakti Programme :

Participation of partners in Mission Shakti programme

Orientation of ASHA, ANM and AWW at CHC and PHC in 10 districts of U.P :

Partners of 10 U.P oriented ASHA, ANM and AWW workers on Safe Abortion, MTP Act and Family Planning

Orientation of PRI Members-

Permission Letter issued by DPO and DPRO-

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, श्रावस्ती।

पत्रांक / /जि0क0अधि0/2020–21 दिनांक: 26 दिसम्बर, 2020

समस्त,
बाल विकास परियोजना अधिकारी,
जनपद –श्रावस्ती।

श्रावस्ती ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ग्राम–औरेया निधान, पोस्ट–कटरा जनपद श्रावस्ती ने अपने पत्र दिनांक 23.12.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी संस्था वालेन्ट्री हेल्थ एसोशियेसन द्वारा संचालित सांझा परियोजना से जुड़कर जनपद में सुरक्षित गर्भ समापन व महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मुद्दों पर कार्य कर रही है। संस्था विकास खण्ड स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की बैठकों में प्रतिभाग कर संचालित कार्यक्रम के उद्देश्यों व आवश्यकताओं के बारें में जानकारी प्रदान करना चाहती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना स्तर पर होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की बैठकों में संस्था को आमंत्रित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रतिनिधियों के माध्यम से जनसामान्य को जानकारी उपलब्ध हो सकें।

प्र0जिला कार्यक्रम अधिकारी,
श्रावस्ती।

पृष्ठांकन संख्या C-1534 /तद्दिनांक
प्रतिलिपि– श्रीमती चंचल देवी, प्रतिनिधि, श्रावस्ती ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ग्राम–औरेया निधान, पो0–कटरा, जनपद श्रावस्ती, मोबाइल नम्बर–6307313345।

26 Dec. 20

प्र0जिला कार्यक्रम अधिकारी
श्रावस्ती।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी,उन्नाव।

पत्रांक 2760 /वि0ख0बै0/2020–21 दिनांक 13/11/2020

समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0),
जनपद उन्नाव।

विषयः– सुरक्षित गर्भ समापन जागरूकता के विषय पर विकास खण्ड स्तर पर प्रधान ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में प्रतिभाग करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक कार्यकम अधिकारी सांझा प्रयास उन्नाव ने अपने पत्र जो कि, मुख्य विकास अधिकारी महोदय को संबोधित है, द्वारा अवगत कराया गया है कि, विकास खण्ड स्तर पर प्रधान ग्राम पंचायत की मासिक बैठक/प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर उनसे सुरक्षित गर्भ समापन की जानकारी सांझा करना चाहती है, जिससे समुदाय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित गर्भ समापन की जानकारी पहुँच सकें।

अस्तु उपरोक्त पत्र संलग्न कर आपकों निर्देशित किया जाता है कि, विकास खण्ड स्तर पर भविष्य में आयोजित होने वाली बैठकों/प्रशिक्षण में प्रधान ग्राम पंचायत को संबंधित पत्र में उल्लिखित विषयों पर चर्चा/निःशुल्क प्रशिक्षण देने हेतु संस्था के प्रतिनिधियों को प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उपरोक्त विषय पर चर्चा/प्रशिक्षण की जानकारी हेतु **कार्यकम अधिकारी सुश्री लक्ष्मी पाल मो0नं0 7518337109** का अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
उन्नाव।

पंत्राक व दिनांक–उपरोक्त।
प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. कार्यकम अधिकारी सांझा प्रयास, उन्नाव को इस आशय से कि, सहायक विकास अधिकारी(पं0) व खण्ड विकास अधिकारी से उपरोक्त विषय पर चर्चा हेतु समन्वय स्थापित करने का कष्ट करें।
2. समस्त प्रधान ग्राम पंचायत को सूचनार्थ द्वारा सहायक विकास अधिकारी(पं0)जनपद उन्नाव।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उन्नाव को इस आशय से प्रेषित है कि, उपरोक्त के संबंध में अपने स्तर भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. मुख्य विकास अधिकारी,महोदय उन्नाव की सेवा में सादर सूचनार्थ।
5. जिलाधिकारी महोदय उन्नाव की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
उन्नाव।

Scanned with CamScanner

Media Coverage on Information related to SRHR, MTP Act and Safe Abortion -

सुरक्षित गर्भ समापन से संबधित दी जानकारी

मेरठ (धारा न्यूज)। अनचाहा गर्भ और गर्भपात महिला के प्रजनन आयु के दौरान होने वाली सामान्य प्रक्रियाएं है। पर अक्सर हम लोग इस विषय पर बात करने से हिचकिचाते है और फ्त स्वरूप सही जानकारी महिलाओं तक नही पहुँच पाती। महिलाओं के पास अनचाहा गर्भ ठहरने पर क्या विकल्प उपलब्ध है और हमारा कानून इसके बारे में क्या कहता है यह जानकारी सबके पास ना होने के कारण कई महिलायें गर्भपात के लिए असुरक्षित विकल्पों का चयन करती हैं। उक्त जानकारी ग्रामीण समाज विकास केन्द्र के सचिव मेहर चंद ने दी।

उन्होंने बताया कि भारत में प्रतिदिन 13 महिलाओं की असुरक्षित गर्भपात से संबंधित कारणों से मृत्यु हो जाती है और सैकड़ों महिलाएं गंभीर जटिलताओं का सामना करती हैं। यानि देश में होने वाली मातृ मृत्यु में से लगभग 8ः मृत्यु असुरक्षित गर्भपात के कारण होती हैं। उन्होंने यदि किसी महिला को माहवारी के दिन चढ़ गये हों या उसे अनचाहे गर्भ के ठहरने की आशंका हो तो उसे बिना किसी देरी के नजदीकी आशा या एएनएम से संपर्क करना चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर गर्भधारण की पुष्टि हो जाती है और महिला गर्भ नहीं रखना चाहती ह,ए तो उसे गर्भपात का निर्णय जल्दी ले लेना चाहिए। यदि लिंग जांच महिला के निर्णय का आधार ना हो और यदि गर्भ 20 सप्ताह यानी लगभग 4.5 महीने तक का हो तो एमपीटी एक्ट 1971 के तहत गर्भपात कराया जा सकता है। अगर गर्भ 9 सप्ताह तक का हो तो गोलियों द्वारा गर्भपात भी किया जा सकता है। गर्भपात जितना जल्दी कराया जाये उतना ही सरल और सुरक्षित होता है।

कई बार ऐसा हो सकता है कि गर्भपात सेवाएँ लेने के लिए पहुँचने तक गर्भ 12 हफ्ते से ऊपर का हो। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैए जैसे की गर्भ की जानकारी बाद में लगना, होने वाले शिशु में जन्मजात विकृति होना, अस्पताल समय से ना पहुँच पाना, कोरोना की वजह से समय पर निर्णय ना ले पाना, इत्यादि। यदि महिला 12 हफ्ते या 3 महीने से ज्यादा अवधि के गर्भ का गर्भपात करवाना चाहती है, तो उसमें उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 20 सप्ताह तक गर्भपात सेवाएँ लेने के लिए महिला को बड़े अस्पताल जैसे कि जिला अस्पतालए 24 गुणा 7 उपलब्ध या मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाना होगा। गर्भावस्था की अवधि के आधार पर महिला को इन सेवाओं के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है। महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि वह गर्भपात के साथ तुरंत ही किसी गर्भनिरोधक साधन का उपयोग शुरू कर दें। क्योंकि गर्भपात और अगले गर्भ धारण के बीच में कम से कम 6 महीने का अंतर रखना उचित होता है। उन्होंने बताया कि एक महिला के लिए गर्भपात एक मुश्किल निर्णय हो सकता है और वह प्रक्रिया के दौरान कई तरह की भावनाओं का अनुभव करती है। उसके पति एवं परिवार को महिला के निर्णय में सहयोग देना चाहिए और उसकी सुरक्षित और कानूनन सेवाएं लेने में मदद करनी चाहिए। सही जानकारी और आपसी सहयोग से हम देश में हो रही असुरक्षित गर्भपात संबधित जटिलताओं की संख्या कम कर सकते हैं।

हिन्दी दैनिक
गुनाह का सच
E-mail gunahkasach@gmail.com

साँझा प्रयास नेटवर्क के माध्यम से लोगो को सुरक्षित गर्भ समापन व परिवार को संबंधित सेवाओं के प्रति करे जागरूप - 9'

अरुण शुक्ला

हरदोई साँझा प्रयास नेटवर्क महिलाओ को लागतार यौन एवं प्रजनन स्वास्थ व अधि[कार] संबंधित सेवाओ और जागरूकता को मजबूत करने के लिए बिहार उत्तर प्रदेश राज्य में संस्था काम कर रही है गैर सरकारी संस्थाओं का एक स्वैच्छिक नेटवर्क है महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओ को समझने तथा जमीनी स्तर की जानकारी लेने के लिए नेटवर्क से जुड़ी संस्थाओं ने दस जिलो में महिलाओं, पुरुषों, स्वस्थ सेवा प्रदाताओ तथा समाज समूहो से बातचीत की तथा उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन किया समुदाय बातचीत कर के या सामने आया कि अभी भी अधिकतर लोगो को गर्भ समापन के बारे में प्राप्त जानकारी नही है गर्व समापन के साथ कई गलत अवधारनाएं भी जुड़ी है जिसके कारण लोग इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत नही करना चाहते है सामाजिक दबाव और जानकारी के अभाव में अधिकतर महिलाएं प्रशिक्षित डॉक्टर से गर्भ समापन करवाने की अपेक्षा गोपनीय रूप से गर्भ समापन करवाना चाहती है जिसके लिए वह नजदीकी मेडिकल स्टोर और दाई के पास जाना ज्यादा [...] करती है जब कि एम पी एक्ट 1971 के तह[त] [...] भी गर्भवती महिला [...] परिस्थितियो में 20 सप्त[ाह] [...] प्रशिक्षित डॉक्टर से वि[...] सरकारी अस्पताल व [...] सी द्वारा मान्यता प्राप्त [...] अस्पताल में अपना [...] गर्भपात करा सकती [...] जानकारी को अधिक [...]क लोगो को जानकारी [...] के लिए यह नेटवर्क जाग[रूकता] का कार्य कर रही हैं इ[...] पर संस्था के कर्मचा[री] [...] महिलाएं उपस्थित रही

साझा प्रयास नेटवर्क दे रहा सुरक्षित गर्भ समापन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

जिला संवाददाता

उन्नाव। अनचाहा गर्भ और गर्भपात महिला के प्रजनन आयु के दौरान होने वाली सामान्य प्रक्रियाएं हैं। पर अक्सर हम लोग इस विषय पर बात करने से हिचकिचाते हैं और फ्त स्वरुप सही जानकारी महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए महिलाओं के पास अनचाहा गर्भ ठहरने पर क्या विकल्प उपलब्ध है और हमारा कानून इसके बारे में क्या कहता है यह जानकारी सबके पास ना होने के कारण कई महिलाएं गर्भपात के लिए असुरक्षित विकल्पों का चयन करती हैं।

भारत में प्रतिदिन 13 महिलाओं की असुरक्षित गर्भपात से संबंधित कारणों से मृत्यु हो जाती है और सैकड़ों महिलाएं गंभीर जटिलताओं का सामना करती हैं यानी देश में होने वाली मातृ मृत्यु में से लगभग 8 प्रतिशत मृत्यु असुरक्षित गर्भपात के कारण होती हैं। यदि किसी महिलाओं को माहवारी के दिन चढ़ गए हो या उसे अनचाहे गर्भ के ठहरने की आशंका हो तो उसे बिना किसी देरी के नजदीकी आशा या एनम से संपर्क करना चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर गर्भधारण की पुष्टि हो जाती है और महिला गर्भ नहीं रखना चाहती हैं तो उसे गर्भपात का निर्णय जल्दी लेना चाहिए। यदि लिंग जांच महिला के निर्णय का आधार ना हो और यदि गर्भ 20 सप्ताह यानी लगभग 4 से 5 महीने तक का हो तो डन्च् बज 1971 के तहत गर्भपात कराया जा सकता है। अगर गर्भ 9 सप्ताह तक का हो तो गोलियों द्वारा गर्भपात भी किया जा सकता है। गर्भपात जितना जल्दी कराया जाए उतना ही सरल और सुरक्षित होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि गर्भपात सेवाएं लेने के लिए पहुंचने तक गर्व 12 हफ्ते से ऊपर का हो इसके पीछे बहुत ही कारण हो सकते हैं। जैसे कि गर्भ की जानकारी बाद में लगना, होने वाले शिशु में जन्मजात विकृति होना, अस्पताल समय से ना पहुंच पाना, कोरोना की वजह से समय पर निर्णय न ले पाना इत्यादि। यदि महिला 12 हफ्ते या 3 महीने से ज्यादा अवधि के गर्भ का गर्भपात कराना चाहती है तो उसमें उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 20 सप्ताह तक गर्भपात सेवाएं लेने के लिए महिला को बड़े अस्पताल जैसे कि जिला अस्पताल 24 घण्टे उपलब्ध या मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाना होगा। गर्भावस्था की अवधि के आधार पर महिला को इन सेवाओं के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है। महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि वह गर्भपात के साथ तुरंत किसी गर्भ निरोधक साधन का उपयोग शुरू कर दें क्योंकि गर्भपात और अगले गर्भधारण के बीच कम से कम 6 महीने का अंतर रखना उचित होता है। एक महिला के लिए गर्भपात एक मुश्किल निर्णय हो सकता है और वह प्रक्रियाओं के दौरान कई तरह की भावनाओं का अनुभव करती है। उसके पति एवं परिवार को महिला के निर्णय मैं सहयोग देना चाहिए और उसकी सुरक्षित और कानूनन सेवाएं लेने में मदद करनी चाहिए सही जानकारी और आपसी सहयोग से हम इस देश मैं हो रही असुरक्षित गर्भपात संबंधित जटिलताओं की संख्या कम कर सकते हैं।

Tobacco Control

Uttar Pradesh is the most populous state of India (over 200 million people or the size of Brazil) who live in 75 districts. . It has a higher incidence of tobacco use (about 34%) than the national average. This means that the state has 42.5 million tobacco users or more than the population of the 32nd largest country (Ukraine). Tobacco is cultivated, processed and produced in the state. According the India Cancer Report, the state also has the highest prevalence of throat and mouth cancer cases - about 20% of the national burden. The age of initiation of tobacco use is among the lowest in India, and chewing, bidi smoking and cigarettes (in that order) are the principal forms of tobacco use.

Tobacco Control Programme is implemented by UPVHA with the financial support of Bloom Berg Initiatives through The Union against Tuberculosis & Lung Disease, New Delhi. The objective of the project is effective implementation and enforcement of the Tobacco Control Act (COTPA), 2003 especially Section 4, 5 and 6 in 25 districts of Uttar Pradesh.

The project envisages creating smoke free public places, Tobacco Free Educational Institutions and build capacity of the policy makers, law enforcers, coalition partners, educational institutions, Panchayati Raj Institutions, NGOs and health workers on section 4, 5, 6 & 7 of COTPA.

Achievements under Tobacco Control Programme

- One to one meeting conducted with key stakeholders & policy makers at State and district level. Project Lead met with State level officials including DG Medical Health, SNO NTCP, Director Urban Development, Director Panchayati Raj, Director Primary Education, Commissioner FDA, Additional Commissioner FDA and discussed issues related to tobacco control.

- Virtual meeting with NTCP staff in all districts was organised by STCC. Project lead discussed issues related to advancing tobacco control with NTCP staff.

- Team members sensitized law enforcement officers in one on one meeting/over phone to DLOs in district Raibareilly, Amethi, Sultanpur, Lucknow, Mathura, Banda, Bulandsahar, Shravasti, Bahraich & Kaushambi, Bareilly, Moradabad, Jhansi, Orai, Kannuj, Fatehpur, Ayodhya, Farrukhabad, Hardoi, Basti, Chitrakoot& Sultanpur to issue letters and for enforcement activities under their jurisdiction.

- Under guidance of Technical Advisor The Union, UPVHA team providing support in mapping of public places & vendors to 10 new DTCCs within jurisdiction.

- One-on-one meetings were conducted with Mayor, Commissioner Municipal Corporations & high level officials in 4 cities.

- Use of Hukka (waterpipe) and like products banned in Uttar Pradesh by order issued by DG Medical Health. DGMS office also issues directives to all districts to ban use of SLT, Pan Masala and smoking in all three tier Panchayat meetings and offices. Director Secondary Education issued directives for DIOS in all 75 districts to display signage of section 4 and 6B of COTPA and ban use of tobacco products in education institutions under their jurisdiction.

- Directorate Swaksha Bharat Mission issued directives to District Panchayati Raj Officers in all districts to stop use of tobacco and Pan Masala in Panchayat Level Meetings for creation of Tobacco free Generation

- State Level workshop was organised in collaboration STCC on occasion of World Cancer Day. Director General Health, SNO NTCP, SNO Palliative Care, SNO Non Communicable disease, SNO Mental Health, State Consultant Mental Health, State Consultant NTCP, Finance Controller NHM along with 10 other state level officials participated in this workshop. Discussion was made on Tobacco Free Generation Policy, Implementation of state policy on Article 5.3, tobacco free institutions, Yellow Line Campaign and effective implementation of NTCP.

Glimpsed of Activities-

DLCC Meeting on chaired by District Magistrate in Moradabad

Media Workshop on TVL

Sensitization of Law Enforces for enforcement activities under their jurisdiction in District Barabanki

State Level Workshop on the occasion of World Cancer

Bareilly Enforcement

State Level Sensitization and Orientation of Counselors NCD and NTCP Day

Challaning Ayodhya

State Level Meeting on illicit trade by tobacco compnies

School Awareness Programme

The National Tobacco Control Programme (NTCP) was launched by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India 2007-08. The objective was to bring about greater awareness about the harmful effects of tobacco use and about the Tobacco Control Laws. Keeping the objective, Uttar Pradesh Voluntary Health Association is running "School Awareness Programme" in 7 Districts- Agra, Aligarh, Chitrakoot, Hathras, Jhansi, Mahoba and Kasganj of Uttar Pradesh

Objective of Project-

- To aware school children"s on tobacco and to ensure the school follows the guidelines of COTPA Act, 2003.
- To bring about greater awareness about the harmful effects of tobacco use and Tobacco Control Laws.
- To facilitate effective implementation of the Tobacco Control Laws.

Relevant Sections under School Awareness Programme

COTPA Section- 4: Prohibition of Smoking in Public Places

SECTION – 4

* “No person shall smoke in any public place:

* Provided that in a hotel having thirty rooms or a restaurant having seating capacity of thirty persons or more and in the airports, a separate provision for smoking area or space may be made”

* Effective from: 2nd October, 2008

SECTION - 6 (a)

*Section 6 (a) of Tobacco Control Act, 2003 provides;

* Sale of tobacco products to persons under the age of 18 is prohibited.

* The seller should ensure that the person who is buying the tobacco product is not a minor.

* A display board to be put up at the point of sale declaring that “sale of tobacco products to minors is prohibited”.

* Prohibition on sale of tobacco products near educational institutions

SECTION - 6 (b)

- Section 6 (b) of Tobacco Control Act, 2003 provides;
- In order to restrict access of youth for tobacco products, the sale of the same is prohibited in an area within radius of 100 yards of any educational institution.
- A display board to be put up outside the educational institutions declaring the same.
- Fine of up to Rs. 200 for violators.

Activities under School Awareness Programme

- In all the schools, awareness activities conducted in Agra, Mathura, Hathras, Mahoba, Kasganj, Chitrakoot and Aligarh districts respectively
- Awareness generation through Hoardings, wall paintings, posters, pamphlets, Radio programmes, announcements, Rallies etc in seven districts of Uttar Pradesh
- Yellow Line Campaign and Tobacco Free Zone was organized in Schools and Colleges in seven districts of U.P
- Display of signage for section 4 and section 6b on appropriate places in education institutions
- We have selected 30 Government & 30 Private Schools (above 8th standard) and 10 Degree Colleges in all 7 districts.
- We are working with the coordination of District Tobacco Control Cell in all seven districts- Agra, Mahoba, Chitrakoot, Hathras, Mathura , Aligarh & Kasganj.

YELLOW LINE CAMPAIGN

Target Intervention

Target Intervention Project is executed by UPVHA from last 11 years in District Ambedkar Nagar. This programme is funded by U.P State Aids Control Society. The target population under this project is female sex workers and UPVHA works with 300 FSWs to save them from risk of HIV infection.

Major activities include:

- Identification of target population and registration
- Counselling
- Contact
- Testing
- STI check-ups
- Health camps
- Group discussion
- Drop in centre
- Condom and lubes distribution
- Community organisation
- Community awareness programme

Activities under Target Intervention

- **Health and HIV Checkups-** Provided regular health checkups and HIV testing of selected HRG and also provide medicines and general medical check of HRG

Counseling for health checkups of HRG by Counselor

- **DIC Activities-** A cultural programme was organized at project office through HRG. They also do various activities like cultutal dance, songs etc. During the programme, information given about symptoms of HIV infection

- **World AIDS Day-** A workshop was organized on 1st December 2020 on the occasion of World AIDS Day in MCH Hospital, Ambedkarnagar. The workshop was chaired by CMO. Mr. K.P Maurya, Counselor, ICTC Department, District Hospital; Mr. K.K Yadav, Suraksha Counselor, Ms. Kismat Smile, Ahana Project was also presented during workshop. Mr. Sudhir Singh, Programme Manager, T.I share about the history of HIV/AIDS and prevention and treatment of AIDS.

- **International Women's Day-**
A workshop "Samaan Adhikaar Samaan Avsar" was organized on 8th March, 2021 on the occasion of International Women's Day at District Ambedkar Nagar. During workshop, the staff told about the women rights and health to women groups. Total 67 participants presented in the workshop.

- **Regular Services-**

S.L	Activities	Target	Achievement
1	Monthly Contact	7411	6905
2	Regular Health Check up	1844	1540
3	HIV Test	1245	981
4	DIC Meeting	24	24
5	Demand generation meeting	72	72
6	Free Condom Distribution	1202585	159620
7	Social Condom Marketing Distribution	0	0

- **P-MPSE Activity-**
First meeting of CAB (Community Advisory Board) was organized in the month of November 2020 at Sabhagar, CMO Office, Ambedkar Nagar under Programmatic Mapping and Population Size Estimate. The meeting was chaired by Dr. Salik ram Paswan, Nodal Officer.

- **Health Camps for Migrated People-**

<table>
<tr><th colspan="2">Details</th><th>Male</th><th>Female</th><th>Total</th></tr>
<tr><td colspan="2">Normal Checkup</td><td>795</td><td>1134</td><td>1929</td></tr>
<tr><td colspan="2">STI</td><td>6</td><td>213</td><td>219</td></tr>
<tr><td colspan="2">ICTC Checkup</td><td>678</td><td>992</td><td>1670</td></tr>
<tr><td colspan="2">ICTC</td><td>678</td><td>992</td><td>1670</td></tr>
<tr><td colspan="2">ANC Checkup</td><td>0</td><td>13</td><td>13</td></tr>
<tr><td>HIV Positive</td><td>0</td><td>1</td><td colspan="2">1</td></tr>
</table>

- **Health Services-** Meeting was organized with HRG in different selected intervention areas and sensitizes people about HIV transmission and other sexually transmitted disease. The team also distributed condoms and told about the right use of Condoms.

- **Linkages with health government officials-** The volunteers of Target Intervention project continuously participated in the meetings organized by district government officials.

E- Newsletters published under Amplify Change Programme

साँझा प्रयास त्रैमासिक पत्रिका

SANJHA PRAYAS
Capacity • Evidence • Action

जनवरी–मार्च 2021 अंक– 2

साँझा प्रयास त्रैमासिक पत्रिका–

साँझा प्रयास त्रैमासिक पत्रिका एक प्रयास है, जिसके माध्यम से जनसमुदाय, सरकारी अधिकारियों एवं विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तक प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं एवं गर्भपात पश्चात् परिवार नियोजन सेवाओं के बारे में जानकारी पहुंच सके।

साथ ही ऐसी संस्थाएँ जो महिला एवं बाल स्वास्थ्य के मुद्दों पर कार्य कर रही है उन्हें इस परियोजना मे 10 अन्य साथी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे मे पता चल सके और प्रजनन स्वास्थ्य एवं सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के बारे में समय समय पर जानकारी मिल सके। साथ ही संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य एवं सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के बारे में लोग संवेदित हो एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके।

साँझा प्रयास के बारे में –

साँझा प्रयास महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार (एस0आर0एच0आर0) संबंधित सेवाओं और जागरूकता को मजबूत करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में काम कर रही गैर सरकारी संस्थाओं का एक स्वैच्छिक नेटवर्क है।

भारत में एस0आर0एच0आर0, गर्भपात व गर्भनिरोधक सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए आवाजें तथा नेटवर्क सीमित हैं, एवं अधिकांश नेटवर्क राष्ट्रीय स्तर अथवा कुछ राज्यों में सीमित हैं। स्थानीय स्तर पर यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबधित नीतियों के निरंतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि यह विषय स्थानीय अधिकारियों एवं नीतिनिर्धारकों के एजेंडे पर बना रहें।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साँझा प्रयास नेटवर्क शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न संस्थाएँ स्वैच्छिक तौर पर साथ मिलकर, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार से संबंधित मुद्दों पर कार्य करती हैं ।

इस नेटवर्क के सदस्य स्थानीय स्तर पर यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य की योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि नेटवर्क की सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से बिहार और उत्तर प्रदेश में एस0आर0एच0आर0 और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में सुधार लाया जा सके।

संकलन टीम– विवेक अवस्थी, श्वेता सिंह, रत्ना शर्मा, देवेंद्र त्रिपाठी, शिवी शुखेजा एवं साँझा प्रयास के समस्त क्षेत्रीय कार्यकर्ता।

1

Organizational Structure

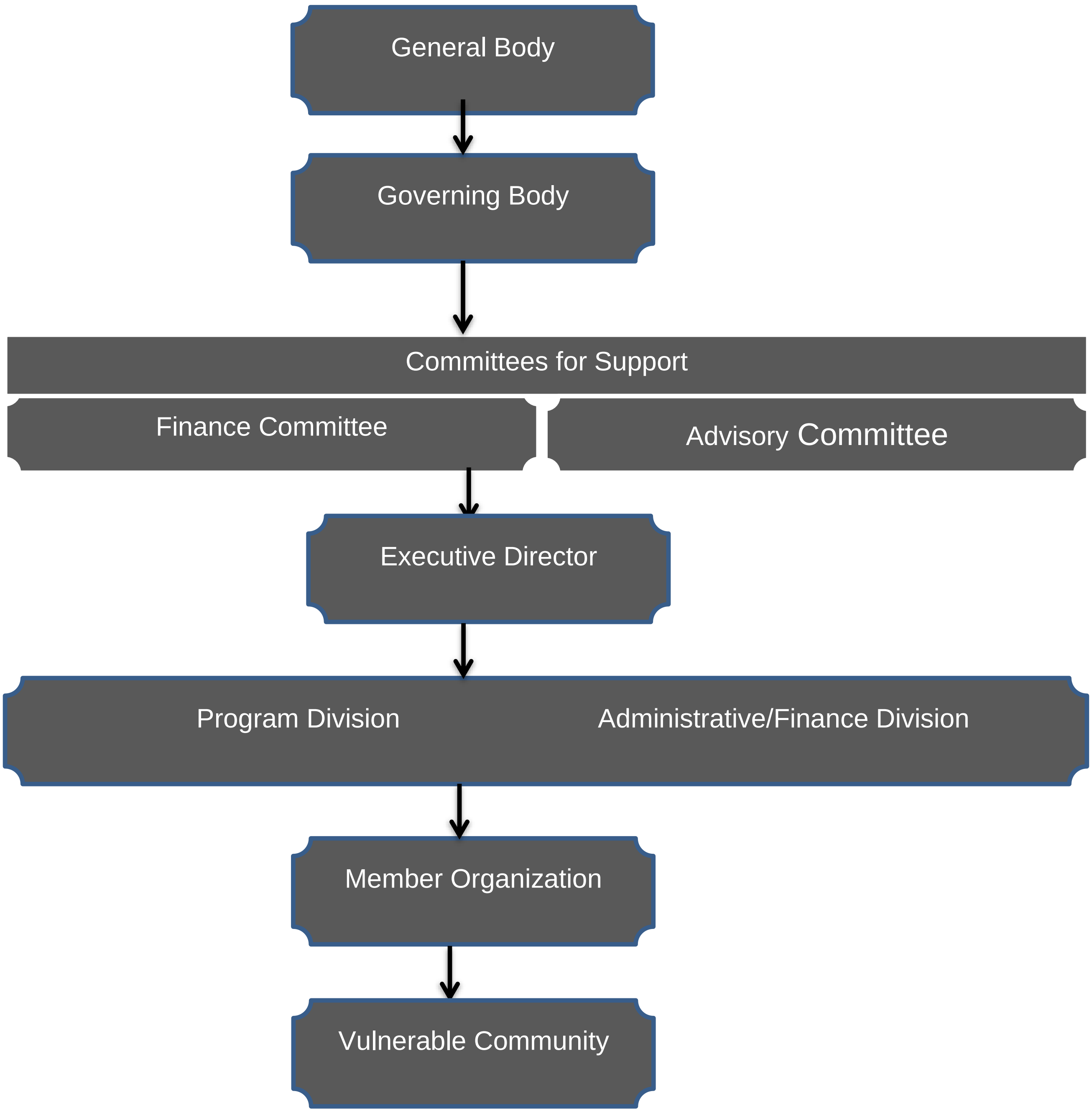

Human Resource of UPVHA

"Financial Year 2020-2021

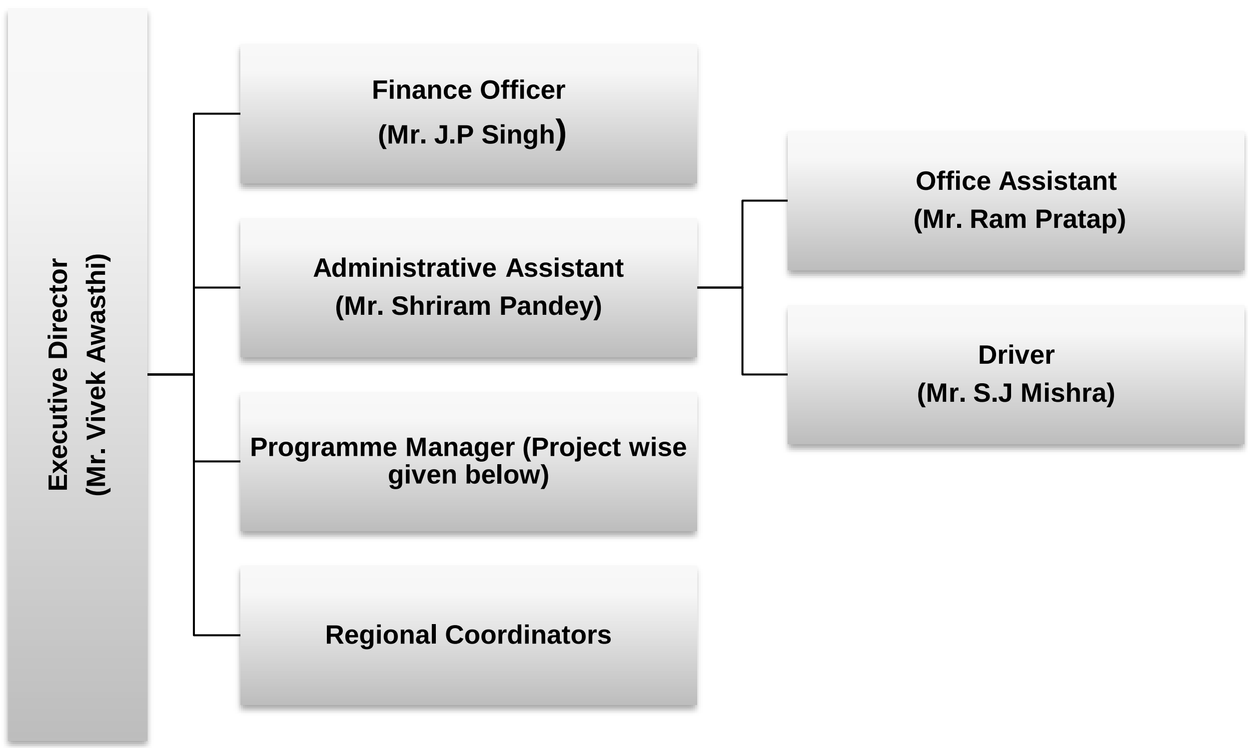

List are as follows-

Designation	Project Name	Name of Staff
Regional Coordinator	India 26-43	Mr. Surjeet Singh
Regional Coordinator	India 26-44	Mr. Dileep Kumar Pandey
Regional Coordinator	India 26-45	Mr. Puneet Srivastava
Programme Manager	Target Intervention	Mr. Sudheer Singh
Programme Manager	Amplify Change	Ms. Shweta Singh
Programme Officer	NTCP	Mr. Manjeet Singh
Consultant	**NTCP**	**Mr. Dileep Kumar Pandey**

Consultant	NTCP	Ms. Rita Tripathi
Consultant	NTCP	Dr. Richa Vyas
Consultant	NTCP	Mr. Anil Awasthi
Consultant	NTCP	Mr. Yogendra Singh Yadav
Consultant	NTCP	Ms. Meenu Sharma
Counsellor	TI Project	Ms. Priya Kushwaha
MIS cum Accountant	TI Project	Mr. Dhyanendra Kumar Misra
Outreach Worker	TI Project	Ms. Archana Singh
Outreach Worker	TI Project	Ms. Sanjeeda Bano
Outreach Worker	TI Project	Ms. Shweta Singh
Outreach Worker	TI Project	Smt. Anupam
Outreach Worker	TI Project	Ms. Kumkum
Outreach Worker	TI Project	Ms. Sarita
Outreach Worker	TI Project	Ms. Sita Devi
Outreach Worker	TI Project	Ms. Sonu Kumar
Outreach Worker	TI Project	Ms. Vidya Devi
Outreach Worker	TI Project	Ms. Sangeeta
Outreach Worker	TI Project	Ms. Kavita
Outreach Worker	TI Project	Ms. Janki
Outreach Worker	TI Project	Ms. Rita Devi

Photo Gallery

Challaning in District Ayodhya

Law Enforcement Officers training in District Bahraich

Senitization Workshop in District Kannauj

Sanjha Prayas team meets Hon’ble Governor of U.P and shared her work

Wall Painting done at District Barabanki on Safe Abortion

Orient SHG Members on Safe Abortion and SRHR

Media Coverage

स्कूलों के निकट नहीं बिकेंगे नशे के पदार्थ

अमृत विचार, मुरादाबाद

नगर कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में जानकारी देते सहायक नगर आयुक्त गंभीर सिंह।

शिक्षण संस्थानों से सौ मीटर तक की दूरी तक नशे के पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। आवेदन करते समय स्थान और शिक्षण संस्थान से दूरी का जिक्र भी करना होगा। तंबाकू वेंडर पंजीकरण को लेकर कार्यशाला में सहायक नगर आयुक्त गंभीर सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियम के विरुद्ध दुकान खोली जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीलीकोठी स्थित नगर निगम सभागार में बुधवार को यह कार्यशाला हुई। शहर को तंबाकू मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है। इसी के तहत तंबाकू से बने उत्पाद की ब्रिकी के लिए वेंडर लाइसेंसिंग की व्यवस्था कड़ाई से लागू की जाएगी। निगम ने तंबाकू उत्पादों की ब्रिकी और सेवन के संबध में पत्रावली भी जारी की है। तंबाकू विक्रेता भारतीय होगा और उसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदनकर्ता की दुकान किसी भी शिक्षण संस्थान की सौ मीटर की परिधि में नहीं होनी चाहिए। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री तंबाकू नियंत्रण अधिनियम वर्ष 2003 के तहत ही करनी होगी। अपर मुख्यचिकित्सा अधिकारी डा. जीएस मर्तोलिया ने कहा कि नशा सेहत के लिए काफी नुकसान दायक है, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। जिला तंबाकू प्रकोष्ठ सलाहकार डा. प्रशांत राजपूत ने भी इन पदार्थों की बिक्री पर जानकारी दी। कार्यशाला में क्षेत्रीय समन्वय को-आर्डिनेटर सुरजीत सिंह, पंकज चौहान, रीमा यादव मौजूद रहे।

पाबंदी

- नगर निगम ने तंबाकू वेंडर लाइसेंस प्रणाली को लेकर की कार्यशाला
- पंजीकरण के लिए जरूरी नियमों के बारे में दी जानकारी

तम्बाकू बिक्री हेतु वेंडर लाइसेंस मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन

सहायक नगर आयुक्त प्रथम गंभीर सिंह की अध्यक्षता में तंबाकू वेंडर लाइसेंसिंग प्रणाली की दी गई जानकारी

मंडल प्रभारी विनी अग्रवाल/राष्ट्रीय उजाला (मुरादाबाद)- तंबाकू मुक्त मुरादाबाद अभियान की ओर से बुधबार को पीली कोठी स्थित नगर निगम सभागार में सहायक नगर आयुक्त प्रथम गंभीर सिंह की अध्यक्षता में तंबाकू वेंडर लाइसेंसिंग प्रणाली की जानकारी प्रदान करने हेतु एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने कोटपा और तंबाकू के लिए वेंडर लाइसेंसिंग के क्रियान्वयन पर चर्चा की। सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि तंबाकू मुक्त मुरादाबाद अभियान का मकसद शहर और प्रदेश को तंबाकू सेवन से मुक्ति दिलाना है। तंबाकू से बने उत्पाद की ब्रिकी के लिए वेंडर लाइसेंसिंग की व्यवस्था कड़ाई से लागू हो।उन्होंने बताया कि मुरादाबाद नगर निगम ने तंबाकू उत्पादों के ब्रिकी और सेवन के संबध में पत्रावली जारी की है। उन्होंने कहा कि नियमावली के अनुसार वेंडर लाइसेंस हेतु तम्बाकू बिक्रेता भारत का नागरिक हो,उसकी आयु 21 बर्ष या उससे अधिक हो,आवेदनकर्ता की दुकान किसी भी शिक्षण संस्थान की 100 मीटर की परिधि में नहीं होनी चाहिए। तंबाकू विक्रेता को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के अंतर्गत रहकर करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमें बच्चों के भविष्य के बचाना है तो तंबाकू के सेवन और बिक्री के प्रति अभी से सचेत होना होगा। इस मौके पर तंबाकू के सेवन और बिक्री पर कैसे लगाम लगाई जाए और इसमें मीडिया की क्या भूमिका है पर भी चर्चा हुई। कार्यशाला में अपर मुख्यचिकित्सा अधिकारी डॉ.जीएस मर्तोलिया,जनपद तम्बाकू प्रकोष्ठ के जनपदीय सलाहकार डॉ .प्रशान्त राजपूत,यूपी वीएचए के रीजनल को- आर्डिनेटर सुरजीत सिंह, पंकज चौहान,रीमा यादव आदि

कोटपा संशोधन ड्राफ्ट का किया समर्थन

लखनऊ। तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण को लेकर बने कोटपा अधिनियम 2003 में संशोधन को लेकर तैयार ड्राफ्ट विधेयक के समर्थन में शुक्रवार को स्वयंसेवी संगठन भी उतरे। उत्तर प्रदेश वॉलेंटरी हेल्थ एसो. के कार्यपालक निदेशक विवेक अवस्थी ने बताया कि प्रस्तावित कोटपा 2020 के अधिनियमों में बदलाव के समर्थन में ईमेल व पत्र भेजने की मुहिम चलाई जा रही है।

छात्रों ने तंबाकू मुक्त भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

सांध्य हलचल ब्यूरो

फतेहपुर। शुक्रवार को भारत तंबाकू मुक्त पर विशेष अभियान की शुरूआत आज राजकीय इटर कालेज फतेहपुर के बच्चों ने यलो लाईन के माध्यम से तंबाकू मुक्त शिक्षा संस्थान को घोषित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र के माध्यम से निवेदन किया है 18 वर्ष से के नीचे के अव्यस्को को तंबाकू किसी भी प्रकार से न की जाये तंबाकू उत्पाद की सेवन से अनेको बीमारियों से युवा पीढ़ी त्रस्त हो रही है जैसे उक्त रक्तचाप मुंह का कैंसर, मानसिक अपगंता, वं टी0वी जैसी भयानक बीमारी को ओर ठीक नही किया जा रहा है क्योकि सेकेन्ड है। स्मोकिंग की वजह से वह लोग भी रोग की चपेट मे आ रहे है, जो लोग भी किसी भी प्रकार का न॰ा का प्रयोग नहीं करतें है। छात्रों ने पूर्णत: तंबाकू मुक्त भारत बनाने की मुहिम जनपद फतेहपुर से शुरू की है। सभी छात्रों का कहना है कि फतेहपुर को तंबाकू मुक्त बनाना है साथ ही भरत को तंबाकू भारत से बाहर निकाल फेकना है। समस्त छात्रों ने प्रेस के समक्ष पत्र के माध्यम से तंबाकू मुक्त जनपद बनाने का संकल्प लिया है। संदीप कुमार, प्रभात कुमार, शिवम विश्वकर्मा, सचिन कुमार, अमित कुमार, नीलेश, हिमांशु, सविता, राहुल मौर्य, अतुल कुमार, अंकूर जोशी, संकेत रस्तोगी, सचिन साहू इत्यादि रहें।

राजकीय राजकीय इंटर कालेज के प्रधानाचार्य उदय प्रभात ने कहा है कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री तत्काल बन्द होनी चाहिए। क्योकि इससे युवा पीढ़ी नशे की लत से अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता को खोती जा रही है जिससे देश का भविष्य आने वाली पीढ़ी को नशे का लती बना देगे। जिससे उनकी कार्य क्षमता पर भी असर पडेगा। तम्बाकू के भारी बोझ से भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित संशोधित प्रावधानों को मजबूत किया जाय। कोटपा 2003 अंर्तगत उस प्राविधान को समाप्त करें जो किसी स्थान पर निर्दिष्टि/अभिहित धूम्रपान क्षेत्रों के निर्माणा को प्राविधानित करता है। तम्बाकू बिक्री स्थानों पर भी किसी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के प्रचार को प्रतिबंधित करे। स्टोर्स पर तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करें।

तम्बाकू उद्योग/कंपनियों द्वारा किसी प्रकार के प्रायोजन तथा उत्पादों को प्रतिबंधित करें। तम्बाकू उत्पादों का प्रचार इंटरनेट माध्यमों और सोशल मीडिया माध्यमों में भी प्रतिबंधित करें। तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और खरीद की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करें। सिगरेट/बीड़ी के कलस्टिक, छोटे पैक व प्रयोग हेतु तैयार खुली तम्बाकू की बिक्री को प्रतिबंधित करें। आभासीय/खयाली आंकड़ों/सूचनाओं के प्रदर्शन पर रोक लगे।

कल्पनीय विषयवस्तु को विनियमित करें, व सुगन्धित तम्बाकू उत्पादों को प्रतिबंधित करें। तम्बाकू के पैकेजिंग का अधिक से अधिक विनियमन करें। इसी क्रम में यू0पी0वी0,च0-,0 के रीजनल को, आरडीनेटर लखनऊ से पुनीत कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि फतेहपुर के राजकीय इंटर कालेज के छात्रों ने यह तंबाकू मुक्त भारत की मुहिम को छेड़ कर के, सराहनीय सामाजिक कार्य किया है कि जिससे समाज व देश को एक सीख लेनी चाहिए क्योकि देश का युवा ही चाहता है कि तंबाकू पान मसाला गुटखा चैनी खैनी देश को तंबाकू पान मसाला देश को नशे डुवा रही है इनका अब खेल खत्म होना चाहि. । ये कंपनियां देश को मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग बना रही है। इस यलो लाइन कैम्पियन में प्रमुख रूप से विष्णु कुमार पाण्डेय (प्रवक्ता), रामबाबू पाल (स0अ0) संतोष कुमार वर्मा, कमलेश, सुनील कुमार त्रिपाठी, बृजेश कुमार धीर आदि उपस्थित रहें।

JAGRAN **Epaper**

January 22, 2021

Sumit

National Delhi UP Haryana Uttarakh

पुलिस कर्मियों को बताए तंबाकू के नुकसान

जासं, पीलीभीत : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को कार्यशाला में पुलिस विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। गुटखा व तंबाकू के प्रयोग से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक होटल में गुरुवार को आयोजित कार्यशाला में मौजूद पुलिस कर्मचारी व अधिकारी● जागरण

शहर स्थित एक होटल में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसीएमओ) डॉ. हरपाल सिंह ने कहा कि तंबाकू के सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है जिसके कष्टदायक परिणाम सामने आते हैं। लखनऊ से आए क्षेत्रीय प्रबंधक सुरजीत सिंह ने कोटपा अधिनियम 2003 से संबंधित प्रावधानों की जानकारी पुलिसकर्मियों को दी जिसमें कई वैधानिक प्रावधान भी शामिल रहे। साइकोथैरेपिस्ट पल्लवी सक्सेना ने तंबाकू छोड़ने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल स्थित मन कक्ष में तंबाकू छोड़ने संबंधी निश्शुल्क परामर्श ले सकते हैं।

कार्यशाला में सीओ सिटी वीरेंद्र विक्रम, महिला थानाध्यक्ष विजय सिरोही समेत कई पुलिसकर्मी व स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।

तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए भी लेना होगा लाइसेंस, हर साल नवीकरण भी जरूरी

(उत्तर केसरी संवाददाता)

मुरादाबाद। नगर निगम तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को लाइसेंस जारी करेगा। तंबाकू के साथ दुकानदार कोई दूसरे उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। यह सब कोटपा अधिनियम 2003 के नियमों के तहत होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्हें हर साल निगम में पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा। पीलीकोठी स्थित स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यशाला में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जीएस मर्तोलिया ने बताया कि तंबाकू उत्पाद बेचने को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। नगर निगम बोर्ड की बैठक में वेंडरों को जारी किए जाने वाले पंजीयन को लेकर प्रस्ताव पास किया जा चुका है। गजट प्रकाशित होने के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिन दुकानदारों को लाइसेंस दिए जाएंगे वो सिर्फ तंबाकू उत्पाद ही बेच पाएंगे। इसके साथ ही दुकानदारों को हर साल अपने पंजीयन का नवीनीकरण कराना होगा। कोटपा कानून 2003 अधिनियम की धाराएं पूर्ण रूप से लागू होंगी। इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। गजट प्रकाशित होने के बाद लखनऊ के बाद मुरादाबाद प्रदेश का दूसरा जिला बन जाएगा, जिसमें दुकानदारों को लाइसेंस जारी किया जा रहा है। इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए सफाई, खाद्य निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, सफाई नायकों की अहम भूमिका रहेगी। लखनऊ बीएचए रीजनल कोऑर्डिनेटर सुरजीत सिंह ने कोटपा की धाराओं की जानकारी दी। अध्यक्षता सहायक नगर आयुक्त गंभीर सिंह ने की। संचालन प्रशांत राजपूत ने किया। इसमें वेंडरों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

मुरादाबाद

मुरादाबाद के नगरीय क्षेत्र को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया

वदा संवाददाता

ादाबाद। 28 जनवरी को राष्ट्रीय ाबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ला अधिकारी की अध्यक्षता में लॉ फोर्सेस कि बैठक कि गयी जिसमें ार्यक्रम कि शुरुआत अपर जिला धिकारी (प्रशासन) ने तम्बाकू यंत्रण (कोटपा 2003 की धारा 4) प्रभावी क्रियान्वयन के परिपेक्ष में नपद मुरादाबाद के नगरीय क्षेत्र धूम्रपान मुक्त करते हुए उपस्थित भी अधिकारीगणो को बधाई दी था उन्होंने उपस्थित अधिकारीगणो बताया की राष्ट्रीय तम्बाकू यंत्रण कार्यक्रम विगत 3 वर्षो से ादाबाद में संचालित है जिसके तर्गत 52 सरकारी प्रतिष्ठान एवं क्षण संस्थानों को यलो लाइन पेन के माध्यम से तम्बाकू मुक्त षित किया गया साथ ही साथ बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ दवारा मय–समय पर विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी प्रतिष्ठानों में जागरूकता कार्यक्रम किये जाते रहे हैं एवं प्रवर्तन दल द्वारा भी सार्वजनिक स्थानों पर उलन्धंनकर्ताओं से जुरमाना वस. ूलते हुए जागरूक किया जो की कार्यक्रम का एक अभिन्नं हिस्सा हैद्य इन सब कार्यों के परिपेक्ष को देखते हुए उत्तर प्रदेश वोलंटरी हेल्थ एसोसिएशन द्वारा कराये गए विगत तीन वर्षो के सर्वेक्षण जिसको शिक्षा विभाग, स्कूल ऑफ एजुकेशन, बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ एवं सामाजिक शोध नेटवर्क संस्थान लखनऊ के द्वारा किया गया जिसमें मुरादाबाद को धारा 4 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र को धूम्रपान मुक्त घोषित करने के लिए शासन द्वारा आदेशित किया गया है।

■ बैठक में उपस्थित अधिकारीगण।

Report seeks 'sin' tax on tobacco

A public health report titled 'Illicit tobacco trade in India: What Government reports tell us' brought out by Giri Institute of Development Studies and social organisation REACT concluded that 'sin' tax be imposed on tobacco and its products to deter people from consuming it. "A similar tax is already levied over items like alcohol and guns. Tobacco should be treated in the same way," said CS Verma who conducted the assessment in association with Vivek Awasthi from REACT. The researchers stated that the move will also help in checking tax evasion from the tobacco industry.

तम्बाकू बेचने को लेना होगा लाइसेंस

प्रावदा संवाददाता मुरादाबाद। सरकार ने तम्बाकू की रो. कथाम के लिये कोटपा अधिनियम 2003 बनाया है जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ मुरादाबाद एवं यूपीवीएचए(उत्तर प्रदेश वॉलिंटरी हेल्थ एसोसिएशन) के सहयोगात्मक कार्य द्वारा नगर आयुक्त मुरादाबाद से बैठक कर तम्बाकू विक्रेताओं को वेंडर लाइसेंस की प्रणाली को विस्तार पूर्वक समझाते हुये जनपद मुरादाबाद में इसके क्रियान्वयन करने के लिए अनुरोध किया गया है जिसके फलस्वरूप नगर आयुक्त संजय चौहान ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हुए दोनों को इस पर पूर्ण सहयोग देने के लिए कहा। वेंडर लाइसेंस की प्रक्रिया का वायलोज तैयार कर नगर निगम द्वारा बोर्ड की बैठक में रखा गया जो पास भी हो गया।

शहर में तम्बाकू बेचने के लिए अब नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा।नगर निगम जल्द ही वेंडर लाइसेंस प्रावधान लागू करने की तैयारी में है।इस संबंध में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने नगर आयुक्त को पत्र भेजा है। अपर मुख्यचिकित्सा अधिकारी और कार्यक्रम के नोडल डॉक्टर जीएस मर्तोलिया ने बताया कि तम्बाकू की लायसेन्सिंग प्रक्रिया न होने की वजह से ज़्यादातर दुकानदार इसको बेचते है तथा अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रचार भी करते हैं जिससे युवा पीढ़ी इसकी तरफ आकर्षित होती है तथा यह जानलेवा पदार्थ आसानी से उनकी पहुँच में आ जाता है । युवा पीढ़ी को बचाने की लिए इस लायसेन्सिंग प्रक्रिया की बहुत आवश्यकता है।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जनपदीय सलाहकार डॉ. प्रशान्त राजपूत ने बताया कि इसी परिपेक्ष में जनपद के मुख्यचिकित्सा अधिकारी द्वारा भी नगर आयुक्त को अनुरोध पत्र भेजा गया है इसके तहत यह बताया गया है कि प्रदेश में सवा पाँच करोड़ वयस्क किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं इससे कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियाँ बढ़ रही हैं एक तरफ बीमार व्यक्ति के उपचार में उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने तम्बाकू पर नियंत्रण को कोटपा अधिनियम 2003 लागू किया है लेकिन तम्बाकू बिक्रेताओं के लिए लाइसेंस प्रणाली लागू न होने के कारण इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधाएं आ रही हैं स्थानीय निकायों में वेंडर लाइसेंस प्रावधान लागू होने से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को वेहतर ढंग से चलाया जा सकेगा।

सुरक्षित गर्भपात के लिए आशाओं को किया जागरूक

कानपुर। चौबेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुभाष चिल्ड्रेन सोसाइटी व सांझा प्रयास के तत्वाधान में आशा व आशा संगिनी की बैठक का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ बीसीपीएम शिवानी गौतम ने किया। उन्होने कहा कि गृह आधारित नवजात शिशु की देखभाल किस तरह की जाती है। इसकी जानकारी आशाओं को दी। जिसमें प्रसव के बाद आशा द्वारा 42 दिन तक मां व शिशु की देखभाल की जाती है। प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय पर जांच के लिए लाया जाता है। कमजोर वजन वाले नवजात शिशु के लिए कंगारू मदर केयर विधि के बारे में भी जानकारी दी। सांझा प्रयास कार्यक्रम अधिकारी सुषमा शुक्ला ने कोविड-19 के बारे में भी आशाओं को जागरूक किया। 20 सप्ताह तक सुरक्षित गर्भ समापन कानूनन वैध है। किन परिस्थितियों में गर्भ समापन कराया जा सकता है। गर्भनिरोधक साधनों के विफल हो जाने पर, जबरन संभोग बलात्कार के द्वारा गर्भ ठहरने पर, होने वाले शिशु में गंभीर जन्मजात विकृति होने की संभावना पर, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति की संभावना या गर्भवती को जान का खतरा होने पर गर्भपात कराया जा सकता है। गर्भपात कब, कहां, कैसे कराया जा सकता है? आशा जब भी गर्भपात से संबंधित केस को स्वास्थ्य केंद्र तक लाती है। उसके लिए उसका कुछ धनराशि भी उसे मिलता है। बैठक में 35 आशा व आशा संगिनी उपस्थित रही।

सुरक्षित गर्भ समापन को लेकर आशा-एएनएम के साथ बैठक

(आज का बुलेटिन)
अतुल माहेश्वरी

मेरठ। परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता की कमी, हिचक, शर्म, सामाजिक कारणों, पैसे की कमी और अनुपलब्धता के कारण आज भी स्त्रियां असुरक्षित गर्भपात कराने को मजबूर हैं। सरकारी अस्पतालों में लगने वाली लंबी लाइनें, भीड और स्टाफ का संवेदनहीन व्यवहार भी उन्हें घरेलू उपायों, अप्रशिक्षित मिडवाइफ के पास जाने को मजबूर करता है।

इसी असमानता के प्रति समानता लाने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था ग्रामीण समाज विकास केंद्र के द्वारा ब्लॉक हस्तिनापुर में आशा-एएनएम के साथ एमपीटी एक्ट के तहत सुरक्षित गर्भ समापन को लेकर चर्चा की गई और बारे में दंपति को भी जागरुक किया गया।

प्रोग्राम एंड रिसर्च ऑफिसर रविता ने आशा-एएनएम के साथ सुरक्षित गर्भ समापन पर चर्चा करते हुए बताया कि आज के दौर में गर्भधारण से बचने के हरसंभव उपाय हैं, ताकि किसी अवांछित स्थितियों से बचा जा सके। हर स्त्री को याद रखना चाहिए कि शरीर उसका है और उस पर पहला हक भी उसी का है। लिहाजा अपने स्वास्थ्य का खयाल रखना भी उसका पहला एमटीपी एक्ट के बारे में बताते हुए असुरक्षित गर्भपात के नुकसान से भी अवगत कराया।

क्या कहता है कानून

एमटीपी एक्ट के अनुसार 18 वर्ष की भारतीय स्त्री अकेले और इससे कम उम्र की स्त्री संरक्षक की लिखित अनुमति के साथ इन 12-20 सप्ताह तक की गर्भावस्था में गर्भपात करा सकती है।

किन परिस्थितियों में करवा सकती है गर्भपात

यदि गर्भावस्था की निरंतरता, गर्भवती महिला के उसके शारीरिक या मानसि स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभा होंगे, (इ) यदि गर्भावस्थ बलात्कार का परिणाम है, (उ यदि यह सम्भावना है कि बच्च (यदि जन्म लेता है) तो व गंभीर शारीरिक या मानसि दोष के साथ पैदा होगा, (स या यदि गर्भनिरोधक विफ रहा है।

असुरक्षित गर्भपात नुकसानः

1. दर्द और अधि ब्लीडिंग
2. संक्रमण, जो पेल्वि इन्फ्लेमेटरी डिजीज को जन देते हैं
3. कई मामलों में दोबा प्रेग्नेंसी की संभावनाएं खत्म सकती हैं
4. तेज बुखार और अ स्वास्थ्य समस्याएं
5. समस्या बढने प मरीज की जान पर खतरा

साँझा प्रयास नेटवर्क के माध्यम से लोगो को सुरक्षित गर्भ समाप व परिवार को संबंधित सेवाओं के प्रति करे जागरूप - शवेता सिंह

अरुण शुक्ला

साँझा प्रयास नेटवर्क महिलाओ को लागतार यौन एवं प्रजनन स्वास्थ व अधि कार संबंधित सेवाओ और जागरूकता को मजबूत करने के लिए बिहार उत्तर प्रदेश राज्य में संस्था काम कर रही है गैर सरकारी संस्थाओं का एक स्वैच्छिक नेटवर्क है महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओ को समझने तथा जमीनी स्तर की जानकारी लेने के लिए नेटवर्क से जुड़ी संस्थाओं ने दस जिलो में महिलाओं, पुरुषों, स्वस्थ सेवा प्रदाताओ तथा समाज समूहो से बातचीत की तथा उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन किया समुदाय बातचीत कर के या सामने आया कि अभी भी अधिकतर लोगो को गर्भ समापन के बारे में प्राप्त जानकारी नही है गर्व समापन के साथ कई गलत अवधारनाएं भी जुड़ी है जिसके कारण लोग इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत नही करना चाहते है सामाजिक दबाव और जानकारी के अभाव में अधिकतर महिलाएं प्रशिक्षित डॉक्टर से गर्भ समापन करवाने की अपेक्षा गोपनीय रूप से गर्भ समापन करवाना चाहती है जिसके लिए वह नजदीकी मेडिकल स्टोर और दाई के पास जाना ज्यादा पसन्द करती है जब कि एमव टीव पी एक्ट 1971 के तहत कोई भी गर्भवती महिला विशेष परिस्थितियो में 20 सप्ताह तक प्रशिक्षित डॉक्टर से किसी भी सरकारी अस्पताल व डी एल सी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में अपना सुरक्षित गर्भपात करा सकती है इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगो को जानकारी पहुचाने के लिए यह नेटवर्क जागरूकता का कार्य कर रही हैं इस मौके पर संस्था के कर्मचारी एवं महिलाएं उपस्थित रही।

जिले में मनाया गया खुशहाल परिवार दिवस

हरदोई (एसएनबी)। जिले में महिला अस्पताल और सभी सीएचसी में खुशहाल परिवार दिवस में महिलाओं को जागरूक किया गया। महिलाओं को परिवार नियोजन से सम्बन्धित सामग्री दी गयी। शासन द्वारा संचालित खुशहाल परिवार दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को मनाया जा रहा है। गुरुवार को जिले के सभी सीएचसी व पीएचसी पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कछौना सीएचसी में खुशहाल परिवार दिवस मनाया गया। परिवार नियोजन से संबंधित स्टाल लगाए गये। इस दौरान सांझा नेटवर्क की ट्रेनिंग एंड रिसर्च आफीसर रागिनी श्रीवास्तव ने महिलाओं को खुशहाल परिवार के संबंध में बताया और परिवार नियोजन के संबंध में जानकारियां दीं। उन्होंने बताया कि सीएचसी में 280 लाभार्थी आए। जिसमें 65 नव विवाहित दम्पति आए। माला एन टेबलेट 42, छाया टेबलेट 57, ईसी टेबलेट 3, सीपीएस 2 ने, सीजी 6 ने, पीपीई 18 लोगों ने लगवाया। अंतरा इंजेक्शन की प्रथम डोज 14 ने, द्वितीय 5 ने, तृतीय 2 ने, चतुर्थ पांचवी, छठी, सातवीं, ग्यारहवीं एक एक लोगों ने लगवाया। इस मौके पर सीएचसी अधीक्षक किसलय बाजपेई सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।

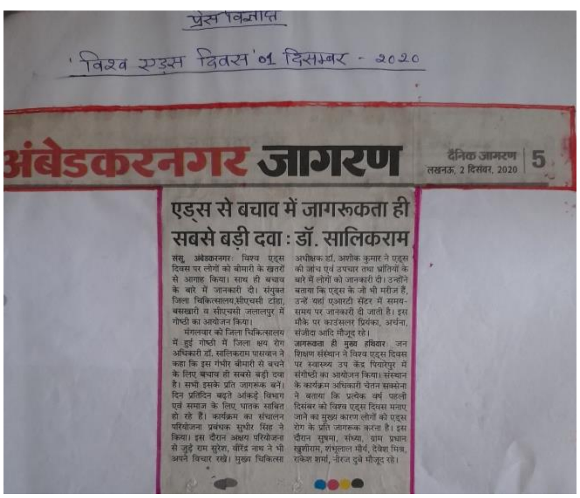

प्रेस विज्ञप्ति

'विश्व एड्स दिवस' 01 दिसम्बर - 2020

अंबेडकरनगर जागरण

दैनिक जागरण लखनऊ, 2 दिसंबर, 2020 | 5

एड्स से बचाव में जागरूकता ही सबसे बड़ी दवा : डॉ. सालिकराम

संसू, अंबेडकरनगर: विश्व एड्स दिवस पर लोगों को बीमारी के खतरों से आगाह किया। साथ ही बचाव के बारे में जानकारी दी। संयुक्त जिला चिकित्सालय,सीएचसी टांडा, बसखारी व सीएचसी जलालपुर में गोष्ठी का आयोजन किया।

मंगलवार को जिला चिकित्सालय में हुई गोष्ठी में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. सालिकराम पासवान ने कहा कि इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए बचाव ही सबसे बड़ी दवा है। सभी इसके प्रति जागरूक बनें। दिन प्रतिदिन बढ़ते आंकड़े विभाग एवं समाज के लिए घातक साबित हो रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन परियोजना प्रबंधक सुधीर सिंह ने किया। इस दौरान अक्षय परियोजना से जुड़े राम सुरेश, वीरेंद्र नाथ ने भी अपने विचार रखे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अशोक कुमार ने एड्स की जांच एवं उपचार तथा भ्रांतियों के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एड्स के जो भी मरीज हैं, उन्हें यहां एआरटी सेंटर में समय-समय पर जानकारी दी जाती है। इस मौके पर काउंसलर प्रियंका, अर्चना, संजीदा आदि मौजूद रहे।

जागरूकता ही मुख्य हथियार: जन शिक्षण संस्थान ने विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य उप केंद्र पियारेपुर में संगोष्ठी का आयोजन किया। संस्थान के कार्यक्रम अधिकारी चेतन सक्सेना ने बताया कि प्रत्येक वर्ष पहली दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाए जाने का मुख्य कारण लोगों को एड्स रोग के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान सुषमा, संध्या, ग्राम प्रधान खुशीराम, शंभूलाल मौर्य, देवेश मिश्र, राकेश शर्मा, नीरज दुबे मौजूद रहे।

परिवार नियोजन व गर्भपात सेवाओं पर आशाओं को किया जागरुक

लखनऊ। राजधानी में साझा प्रयास कार्यक्रम के अन्तर्गत पं.जीवी पंत ग्राम्य विकास अध्ययन संस्थान ने ग्रामीण समाज से जुड़ी आशाओं और आशा संगिनी के साथ परिवार नियोजन एवं गर्भपात सेवाओं का संचालन कर रहा है। इसीक्रम में शनिवार को गोसाईगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रशिक्षण सभागार में आशाओं को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उददेश्य आशाओं को परिवार नियोजन एवं सुरक्षित गर्भसमापन जैसे यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े मुददों पर जागरुक करना है ताकि ये अपने क्षेत्र की महिलाओं को इन सुविधाओं के बारे में सटीक जानकारी दे सके। इस प्रशिक्षण में 20 आशा ने प्रतिभाग किया। सभी प्रतिभागियों को दो गज की शारीरिक दूरी के हिसाब से बैठा के प्रशिक्षण का संचालन किया गया। ट्रेनिंग में सरिता वीसीपीएम मौजूद रही। प्रशांत ने आशाओं से आग्रह किया कि ट्रेनिंग में मिली आवश्यक जानकारी को बाकी आशा लोगों से भी साझा करें ताकि अधिकाधिक लोग सुरक्षित गर्भपात जैसी सुविधा को बेझिझक ले सके। इस दौरान संस्थान की कार्यक्रम अधिकारी आकांक्षा एवं कार्यक्रम निदेशक अभिनय पाण्डेय मौजूद थे।

U.P Voluntary Health Association (UPVHA)

5/459 Viram Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone Number- 0522-725586, Mobile Number- 9415182514
Email- upvhalko@gmail.com, upvha_lko@yahoo.com
Website- www.upvha.org